न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2022-127RAAJodhpur2022-76RTA225 Rajuram ors Vs Baburam etc

01. राजूराम पुत्र मदाराम
02. पपुराम पुत्र मदाराम
03. पेमाराम पुत्र मंगलाराम
04. जयरांम पुत्र मंगलाराम

सभी जातियान् कुम्हार, निवासीगण- तेजानगर नेवरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

01. बाबुराम पुत्र जयराम
02. छोटूराम पुत्र जयराम
03. कालुराम पुत्र गिरधारीराम
04. गोपालराम पुत्र गिरधारीराम
05. जींवराज पुत्र गिरधारीराम
06. भंवराराम पुत्र जयराम
07. लूणाराम पुत्र जयराम
08. सुखी पत्नी जयराम
09. मोहनराम पुत्र लाखाराम

    जातियान् मेघवाल, निवासीगण- तेजानगर नेवरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
10. मोहनराम पुत्र हरकाराम
11. भगाराम पुत्र हरकाराम
12. घेवरराम पुत्र हरकाराम

    जातियान् मेघवाल, निवासीगण- तेजानगर नेवरा, तहसील औसियां, जिला जोधपुर।
13. तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 संशोधित आदेश दिनांक 28 मार्च 2022 सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76-ए/2018 बाबूराम व अन्य बनाम

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

मोहनराम इत्यादि

उपस्थित-
श्री जगदीश प्रजापत ,अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 13

नि र्ण य

दिनांक : 11 नवंबर 2024

अपीलाण्ट्स ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76-ए/2018 अनवान बाबूराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28 मार्च 2022 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 07 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है।

संक्षिप्त प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से नौ ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 966/1 रकबा 04.09 बीघा, खसरा नं. 966/3 रकबा 04.06 बीघा में आवागमन हेतु अपीलांट्स एवं अन्य रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 966, 966/2 एवं 969 में से सलंग्न नजरी नक्शे अनुसार 20 फीट चौड़ा रास्ता चाहा तथा उक्त रास्ते को रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु लघुतम एवं निकटतम रास्ता बताया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को न तो सुनवाई हेतु नोटिस दिया तथा न ही सुनवाई का अवसर प्रदान किया। विचारण

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय की पत्रावली में सुनवाई हेतु दिनांक 12.04.2022 की तिथि मुकर्रर थी, जिसे अपीलांट को बिना सूचित किये परिवर्तित करते हुए दिनांक 23 मार्च 2022 को पत्रावली पेशी में रखकर अपीलांट्स के खातेदारी खेत खसरा नं. 969 में सें रास्ते का आदेश पारित कर दिया, जबकि अपीलांट्स के खेत में कोई रास्ता नहीं चलता है। रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 966/1 व 966/3 में जाने हेतु खसरा नं. 965/1 में सें होकर खसरा नं. 965/1 की दक्षिण दिशा में स्थित मगरा में से रास्ता चलायमान है, यानि इस खसरा में आवागमन हेतु मौके पर रास्ता मौजूद है। यह भी उल्लेखनीय है कि अन्य प्रकरण संख्या 67/22 सरकार बनाम जयराम में पारित निर्णय में भी रास्ता रेस्पोडेंट के खसरा नं. 965/1 से होकर निकाला गया था, रेस्पोडेंट अपने खसरा नं. 965/1 में से होकर अपने खसरा नं. 966/3 व 966/1 में जाता है, फिर भी विचारण न्यायालय द्वारा नवीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28. 03.2022 को निरस्त किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द दिनांक 08.09.2018 के अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि खसरा नं. 966/1 रकबा 04.09 बीघा, खसरा नं. 966/3 रकबा 04.06 बीघा में आवागमन हेतु मौके पर खसरा नं. 972, 974, 965, 963, 961 की भूमि में सें रास्ता उपलब्ध होना बताया गया है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जमाबंदी संवतः 2074-2077 ग्राम तेजानगर तहसील औसिंया के नवीन खाता संख्या 105 एवं पुराना खाता संख्या 93 के मुताबिक भूमि खसरा नंबर 965/1 सहित खसरा नं. 966/1 व 966/3 प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 9 सहित अन्य प्रार्थीगण-रेस्पोडेंट्स के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मुताबिक सहायक कलक्टर औसियां के समक्ष धारा 131, 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत राजस्व प्रकरण संख्या 37/2020 में पक्षकारान् द्वारा आपसी सहमति से खसरा नं. 965/1 में से रास्ता दर्ज किये जाने की सहमति प्रदान की गई है। रेस्पोडेंट्स का खातेदारी खसरा नं. 966/1 एवं खसरा नं. 966/3 खसरा नं. 965/1 के चिपते स्थित है। इसलिए रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु प्रथमदृष्टया खसरा नं. 965/1 में सें रास्ता उपलब्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया जाना पाया जाता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं पाया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 76-ए/2018 अनवान बाबूराम व अन्य बनाम मोहनराम इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 23 मार्च 2022 एवं संशोधित आदेश दिनांक 28 मार्च 2022 को अपास्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते है कि रेस्पोडेंट्स के आवगमन हेतु मौके पर उपलब्ध खसरा नं. 965/1 में निकटतम रास्ते के विकल्प बाबत मौका रिपोर्ट तलब कर उस पर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए युक्तियुक्त समय में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए आर.टी.एक्ट का विधिसम्मत रूप से अंतिम निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर